न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 56/2026

श्री शंकर लाल स्वामी पुत्र देवकी लाल स्वामी निवासी ग्राम व पोस्ट बडागॉव तहसील निवाई जिला टोंक राज.

——अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 02.06.2026**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 23.12.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—

1. बजट विवरण,
2 पंचायत हुए कार्य का विवरण,
3. पंचायत रजिस्टर विवरण,
4. पंचायत में हुई सभी मीटिंग विवरण,
5. ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गए प्लॉट पटे का विवरण,
6. ग्राम पंचायत मे हुए सभी निर्माण कार्यो मै हुए मटेरिएल जैसे बजरी, पथर, सीमेंट, रोडी, मिट्टी,
7. स्वच्छ भारत मिशन के तहत् हुए सभी सफाई कार्यों का विवरण,
8. Covid 19 मे खरीदे गए मेडिकल सामग्री जैसे सेंटाइजर, Hand gloove, jakect,
9. ग्राम पंचायत द्वारा करवाये गये सभी सामाजिक कार्यों की जानकारी
10. 2018—2025 तक के संपूर्ण बिल वोउचर.
11. ग्राम पंचायत तीतोली उर्फ बड़ागाँव मे 2018—2025 तक हुए संपूर्ण कार्यों का पूर्ण विवरण की जानकारी चाहाने हेतु
12. केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजना की जानकारी महोदय निवेदन है मेरी ग्राम पंचायत तीतोली उर्फ बड़ागाँव में सन् 2018 से 2025 तक हुए सभी कार्यों का पूर्ण विवरण देने की कृपा करे में सन् 2019 से 2025 तक हुए सभी कार्यों का पूर्ण विवरण देने की कृपा करे

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 972 दिनांक 06.05.2026 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 160—161 दिनांक 11.05.2026 से जवाब प्रेषित किया है कि प्रार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन अति0 जिला कलेक्टर, टोंक श्री रामरतन सौंकरिया के ऑनलाईन पोर्टल पर ना कर पीएल जाट के ऑनलाईन पोर्टल पर किये जाने के कारण प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में प्राप्त नही हुआ है। अपीलाण्ट द्वारा चाही

जिला कलक्टर
टोंक

गई सूचनां का संबंध लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी टोंक से होने से उनके पत्र क्रमांक 160–161 दिनांक 11.05.2026 से अन्तरित करते हुए पत्र क्रमांक 159 दिनांक 11.05.2026 से अपीलान्ट को सूचित किया गया है। लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी टोंक के प्रथम अपीलेट अधिकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता नहीं है। अपीलान्ट मुख्य कार्यकारी अधिकारी टोंक के प्रथम अपीलेट अधिकारी के समक्ष नियमानुसार अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(टीना डाबी)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)